□□□□ □□□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्रा□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □□□□□

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□ : 1079
22 □□□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त□□

□□□□□□□□ □□ □□रुद्धा□□

1079. श्र□ □□. □□□ष□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ □□□□□□ो □□□ □□□ि□□

(क) क्या सरकार ने सेवाओं म सुधा□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ि □□□ □□□□□□□□□□□ लाभार्थियों और अन्य अंशधा□□ों □□सुझाव आमंत्रित किए ह और यदि हां, □□ □□ □□ □□□□ ि□□□ □□□ ब□□□□ क□□ □;□

(ख) क्या सरकार सीजीएचएस के अंतगत गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा□□प्र□□□ □□□□□□□□□ प्र□□□द्ध □□□□ □ि□ □□,□□ □त□□□□ ब□□□□ क□□ □□□□ □□ □□□□ म क्या पुनरुद्धार □□□ □□□□ □□ □; □□

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक अस्पताल □□□□□□□□ □□□□□द्ध □स□□□□ों □ □□□□ ि□□□ □□□ □□□□□□ के रोगियों के प्रवेश हेतु यहां तक कि □□□□□□□□□ □स□□□□ों □ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ मेमो को मांग कर रहे ह या प्रवेश □□ों □□□□□ □□ □ि□ □□,□□ □त□□□□ ब्यौरा क्या □□□□ □□□□□□ □□□□ों □□□ल□□□ □□□□□□पैनलबद्ध अस्पतालों के विरुद्ध क्या कायवाही को □□/□ो □□ □□□ □?

<u>□त□□</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्र□ (श्र□ □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(□): जी हां। केन्द्र □□□□□ स□□स्थ्य □□□□□ (□□□□□□□□) लाभार्थियों तथा अन्य □□□□□□□ों □□ □□□□□□□□ □□□□□द्ध □स□तालों और रोग निदान कद्रों को सेवाएं प्राप्त □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ पुनरुद्धार के संबंध म सुझाव मांगे गए ह। टिप्पणियों/सुझावों को प्रस्तु□□ □ो □□□□ □□□□□ 30.11.2019 □□

(□) : □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□त□□ पूण स्वास्थ्य परिचया सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही म 75 वष और उससे अधिक आयु के सीजीएचएस लाभार्थियों □ो □□□□ प्र□□□□ □□

सरल बनाया गया है। अब ये सीजीएचएस के अधीन पैनलबद्ध निजी अस्प□□□ों □ □□□□□□□□ □□□□□ कद्र से रेफर कराए □□□□ विशेषज्ञ का सीधा परामश □□□□□□□ □□□ □□ 75 □□ □□ □□□□□□□□ □□□ वाले सीजीएचएस पशनभोगी लाभार्थो (प्राइमरी काड होल्ड□) □□□□□□□□ □□□□□द्ध □स□तालों म □□ि□□ स□□स्थ्य □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□रुद्ध□□ □□ □□ ि□□□ □ □□ □□□ □□□ (□) :□□□□□ □ध□□न म भर्ता न करने के मामले आए ह। सीजीएचएस के अधीन सभी पैनलबद्ध अस्प□□□ों □□ स□ष□ करते हुए 18.07.2018 को अनुदेश किए गए ह कि □□□□□□ □□□□□ज्ञ/□□□□□□□□ □□ि□त□□ अधिकारी द्वारा विशिष्ट सूचीबद्ध उपचार प्रोसीजर/जांच □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □त्र □□□क्षे□ □□ों □□□□ □□ □स□पाल तथा रोग निदान कद्र □□□□□□□□□□□ □त्र को मांग न कर। □□□□□ □□□□ 13.09.2019 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□द्ध □स□तालों को अनुदेश जारी किए गए ह कि अस्प□□□ □ □□ □□ि □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □ □□ सीजीएचएस लाभार्थो या उसके परिवार के सदस्य □□□ग्रे□ □□□□□ □ो □□□ □□□□ और इमरजसी को स्थिति म रोगी को क्रेडिट सुविधा प्रदान करगे। □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□द्ध □स□□□□ □□□□□ हु□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ि □□ क्रे□□□ □□□□ □□,बिना किसी वैध कारणों से उपचार के लिए मना करना □स□□□□ □□ □□□□ □ □□□□□□□□□ □□□ □□□ग□ □□ □□□

****